दो ट्रकों की टक्कर में एक चालक घायल

बीकानेर, (कासं)। जिले के लखासर गांव के पास बीती रात दो ट्रक आमने-सामने भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर दोनों ट्रकों के बीच फंस गया, उसे गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया है, जहां इलाज चल रहा है।

देर रात करीब तीन बजे बीकानेर से जयपुर की ओर जा रहे ट्रक और श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर की ओर आ रहे ट्रक में टक्कर हो गई। बीकानेर से जा रहे ट्रक में कोलायत की मिट्टी भरी हुई थी। जबकि सामने से आ रहे ट्रक में चारा भरा हुआ था। दोनों ट्रक आमने-सामने टकराए। इससे बीकानेर से जा रहे ट्रक के चालक के दोनों पैर ट्रकों के बीच में फंस गए। उसे बड़ी मुश्किल से ट्रक से बाहर निकाला गया।

चारे से भरा ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। वहीं मिट्टी से भरा ट्रक आगे जाकर पलट गया। इस हादसे में घायल 24 वर्ष के संजू निवासी बच्छासर को राहगीरों और लखासर टोल नाके की टीम ने पहले श्रीडूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से पीबीएम अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है लेकिन दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है।

पुलिस ने दोनों ट्रकों को सड़क से हटा दिया है। श्रीडूंगरगढ़ में हर रोज एक दो हादसे हो रहे हैं लेकिन इसके बाद भी ट्रोमा सेंटर को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया था लेकिन असर अभी तक देखने को नहीं मिला।

बिजली बिल में यूडी टैक्स जोड़ने की तैयारी, निकायों से डाटा मांगा

- **बीकानेर नगर निगम का करीब 140 करोड़ यूडी टैक्स बकाया है। ये राशि निगम को मिल जाए तो शहर की सड़कों का कायाकल्प हो जाए और शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम निगम तैयार कर सकता है**
- **इस वक्त शहर में 40 हजार से ज्यादा प्रोपर्टी यूडी टैक्स के दायरे में होंगी, जिनसे हर साल करीब 40 करोड़ रूपए का टैक्स आ सकता है**
- **निगम जब बिजली से टैक्स वसूलेगा तो पहले सर्वे भी करायेगा। अगर सर्वे नहीं कराया और आप अभी टैक्स के दायरे में नहीं आए तो बिल नहीं आयेगा**

बीकानेर, (कासं)। अगर आप यूडी टैक्स प्रोपर्टी के दायरे में हैं और आप समय पर टैक्स नहीं भर रहे तो सावधान हो जाएं। सरकार आपसे अब ये टैक्स वसूलकर ही रहेगी। जल्दी ही आपके बिजली बिल में यूडी टैक्स जुड़कर आयेगा। इसके बाद टैक्स के कारण आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो आपके घर की बत्ती भी गुल हो सकती है।

अकेले बीकानेर नगर निगम का करीब 140 करोड़ यूडी टैक्स बकाया है। हर साल औसतन 10 करोड़ टैक्स बनता है। वो भी 2005 के सर्वे के अनुसार। अगर नए सिरे से सर्वे हो तो ये टैक्स हर साल का 40 करोड़ के आसपास जायेगा। 10 करोड़ की जगह हर साल जमा एक से तीन करोड़ ही होता है। हर साल दो तिहाई बिल वसूल नहीं पाते और फिर उस पर ब्याज लगाया जाता है। ऐसे करके बकाया 140 करोड़ तक पहुंच गए। ये वो राशि है जो अगर निगम को मिल जाए तो शहर की सड़कों का कायाकल्प हो जाए। शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ही निगम तैयार कर सकता है।

तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी जब टैक्स की वसूली नहीं हो पाई तो सरकार अब टैक्स धारकों की ऐसी घेराबंदी करने की तैयारी में है कि टैक्स के दायरे में आये सभी लोगों को टैक्स भरना ही होगा। अगर नहीं भरा तो वहां की बिजली कट जायेगी। हालांकि अभी ये प्रस्ताव पाइप लाइन में हैं लेकिन सरकार और यूडीएच विभाग इसको लेकर गंभीर है और इसकी कवायद शुरू हो गई है। निगम जब बिजली से टैक्स वसूलेगा तो पहले सर्वे भी करायेगा। अगर सर्वे नहीं कराया और आप अभी टैक्स के दायरे में नहीं आए तो बिल नहीं आयेगा। पर आपने अगर लोन लेकर कामर्शियल सेंटर खोला तो आप खुद ब खुद ही उसके दायरे में आ चुके होंगे।

निगम ने 2005 में यूडी टैक्स का सर्वे किया था तब सिर्फ 10 हजार प्रोपर्टी टैक्स के दायरे में थी। धीरे-धीरे कुछ और बढ़ी और अब 13 हजार से ऊपर प्रोपर्टी पहुंच गई। मगर 20 साल से सर्वे ना होने के कारण हजारों प्रोपर्टी ऐसी जो टैक्स के दायरे में नहीं आई। उसके लिए निगम को नए सिरे से सर्वे कराना होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त शहर में 40 हजार से ज्यादा प्रोपर्टी यूडी टैक्स के दायरे में होंगी जिनसे हर साल करीब 40 करोड़ रूपए का टैक्स आ सकता है।

सरकारें कमजोर होती हैं। उनको टैक्स से ज्यादा वोटों का ध्यान रखना पड़ता है। वरना इस रास्ते से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। सरकार को सिर्फ एक आदेश जारी कर तमाम डाटा बिजली विभाग को देना है। पर हां इतना ध्यान जरूर रखें कि एक मुश्त ना वसूलें। कुछ लोगों की स्थिति ठीक नहीं होती और कुछ लोग जानबूझकर नहीं देते। वे निकायों के नोटिस को सीरियस ही नहीं लेते हैं। वैसे तो अभी भी सीज और कुर्की का प्रोविजन होता है पर राजनीतिक दखल इतना कि एक सीज की 50 सिफारिशें आती हैं। इसलिए बिजली बिल से टैक्स अगर किश्तों में वसूला जाए तो सबसे अच्छा। पर जमा होने वाली राशि को जनहित के काम में ही लगाएं। जिस निकाय का जितना पैसा आया उसी निकाय को वापस इस शर्त पर करें इसका उपयोग जनहित में हो।

भवन निर्माण पर टैक्स छूट की मांग : जिला उद्योग संघ ने राज्य सरकार को आगामी राज्य बजट 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं, जिससे बीकानेर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने इन सुझावों में औद्योगिक प्रतिबंधों, कर नीतियों और बिजली दरों में सुधार की मांग की है। संघ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के समाधान के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। इन प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है और निवेशकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने भवन और मकान निर्माण पर लगने वाले 1 प्रतिशत सेस कर में बदलाव की मांग की है। वर्तमान में कर जमा करने में देरी होने पर 24 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो उद्यमियों के लिए अत्यधिक बोझिल है। संघ ने इस नियम में संशोधन करने और एमनेस्टी स्कीम लाने का सुझाव दिया ताकि पुराने केसों का समाधान हो सके। इसके अलावा भवन एवं मकान निर्माण पर कर छूट की सीमा वर्तमान में 10 लाख रूपये है, जिसे 20 लाख रूपए किया जाना चाहिए।

अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन 10 तक

बीकानेर, (कासं)। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए 30 हजार सीटों पर वरीयता अनुसार प्रवेश दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग किए जाने के लिए अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पर मेट्रिक्स पे-लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।

सार-समाचार

फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मदन लाल ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया।

बीकानेर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में एग्रीस्टेक योजना के तहत फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर बुधवार को प्रारंभ हुए। शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में उदासर में तीन दिवसीय किसान रजिस्ट्री शिविर शुरू हुआ। पहले दिन संयुक्त निदेशक (कृषि) मदनलाल ने शिविर का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि शिविर का उद्देश्य किसानों को किसान पहचान पत्र बनाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना एवं उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए तथा राजकिसान सुविधा ऐप और अन्य कृषि योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक कृषि सुरेन्द्र मारू उपस्थित थे। कृषि अधिकारी रमेश भांभू ने शिविर में विभागीय गतिविधियों एवं प्रगति की जानकारी दी।

लापता युवक का शव जोहड़ में मिला

बीकानेर, (कासं)। जिले के श्रीडूंगरगढ़ में युवक का शव कच्चे जोहड़ में तैरता हुआ मिला है। इसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। युवक की पहचान आर्यन पुत्र राजेश जानू के रूप में हुई है जो मूल रूप से झुंझुनूं का रहने वाला है। इन दिनों श्रीडूंगरगढ़ में अपने बुआ के घर रहता था और यहां पर 11वीं क्लास में पढ़ाई करता था। आर्यन पिछले 13 दिन से लापता था और आज उसका शव जोहड़ में तैरता हुआ मिला है। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी जितेन्द्र स्वामी ने बताया कि मोमासर कस्बे में अपने बुआ के घर रहने वाला आर्यन 22 जनवरी की रात को घर से निकल गया था। 23 जनवरी की सुबह बुआ के घर वालों को पता चला कि आर्यन अपने कमरे में नहीं है। इस पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। कई जगह तलाश अभी चल रही थी। इस बीच बुधवार दोपहर बाद एक शव मोमासर के पास ही जोहड़ में तैरता हुआ मिला। पुलिस का आशंका थी कि ये आर्यन है।

जौ-गेहूं की फसल के लिए सिंचाई पानी की कमी बनेगी मुसीबत

- **इस साल फरवरी में ही सिंचाई का पानी बंद होने से चना, गेहूं और जौ का सूखना तय है**

बीकानेर, (कासं)। सिंचाई के पानी के लिए घड़साना आंदोलन नजीर है। 2005 में हुए आंदोलन जैसे हालात फिर बनने लगे हैं। श्रीगंगानगर में तो तीन दिन से किसान एकजुट हो रहे हैं लेकिन मंगलवार को लूणकरनसर में जुटे किसानों ने भी आंदोलन को हवा दे दी।

दरअसल इस साल फरवरी में सिंचाई का पानी बंद हो गया। घड़साना आंदोलन के समय तो अक्टूबर से ही तीन बारी के पानी को लेकर आंदोलन हुआ था। इस साल तो पूरी सिंचाई तीन बारी में हो गई। ऐसे में जिन किसानों ने गेहूं-जौ बोया वो फसलें फरवरी में ही सूखने लगी है। जैसलमेर में चने की फसल को ही सिंचाई लायक पानी नहीं मिला। अब तो सिंचाई पानी बंद होने से चने के साथ गेहूं और जौ का सूखना तय है। किसान आंदोलन की राह पकड़ने लगे हैं।

अभी अलग-अलग तहसीलों पर मामला गर्म हो रहा है लेकिन जैसे-जैसे फसलें सूखेंगी वैसे-वैसे किसानों का गुस्सा बढ़ने की आशंका है। पौंग डेम के हालात भी चिंताजनक हैं। डेम में पानी इतना बचा जिससे सिर्फ जून तक पीने की आपूर्ति ही हो सकती है। अगर डेम में से सिंचाई का पानी दिया तो पश्चिमी राजस्थान के करीब ढाई करोड़ लोग प्यास बुझाने को तरस जायेंगे। ऐसे में सरकार फंसती नजर आ रही है।

घड़साना किसान आंदोलन के दौरान भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। सीएम वसुंधरा घड़साना गई थीं, तब जाकर आंदोलन शांत हुआ था। वर्तमान सरकार में पश्चिमी राजस्थान में ऐसा कोई लीडर नहीं जो आंदोलन को नियंत्रित कर सकें या रूख मोड़ सकें। देवी सिंह भाटी जैसे जो लीडर हैं वो साइड लाइन हैं। ऐसे में अगर आंदोलन तेज हुआ तो सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।

युवा लीडर राजेन्द्र मूंड की अगुवाई में एसडीएम को पानी को लेकर ज्ञापन दिया गया। हैरानी की बात ये कि इस ज्ञापन में लूणकरनसर से चुनाव लड़ चुके प्रभुदयाल सारस्वत भी साथ थे। ज्ञापन में महिपाल सारस्वत, अजय गोदारा, तोलाराम गोदारा, धर्मवीर गोदारा, रामप्रताप मेघवाल, गोकुल बिश्नोई समेत तमाम लोग शामिल थे। पानी को लेकर किसानों ने चेतावनी भरा ज्ञापन दिया है लेकिन मांग पूरी ना होने पर 10 फरवरी से महापड़ाव का ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता राजेन्द्र मूंड ने कहा कि अगर पानी नहीं था तो सरकार को फसल की बिजाई नहीं करानी थी। अब किसान ने बिजाई कर दी तो पानी मांगेगा। ये उसका हक है। पानी नहीं तो कम से कम 6 घंटे लाइट ही दे देते।

शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी

बीकानेर, (कासं)। जिले के नापासर थाना क्षेत्र में एक कार देर रात सड़क पर जलकर राख हो गई। कार में आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं।

एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार सड़क किनारे जल रही है। नापासर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जली कार को हटाया और रास्ता फिर से शुरू करवाया। नापासर थानाधिकारी लक्ष्मण माकड़ ने बताया कि कार बीकानेर के किसी शख्स की है, लेकिन अभी नाम स्पष्ट नहीं हुआ है। कार में एलपीजी या सीएनजी लगी हुई है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। जिस समय आग लगी, उस समय कार चल रही थी।

ड्राइवर ने आग का पता चलते ही उसे किनारे किया और खुद बाहर निकल गया। बीच रास्ते में कार को आग से बचाने के लिए तुरंत कोई साधन नहीं मिला। ऐसे में कार जलती चली गई। उसके आगे और पीछे का पूरा हिस्सा जल गया है। अब कार में सिर्फ लोहे का सामान ही बचा है। सीट सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है।

कोटगेट-सांखला फाटक पर टूटेंगे मकान, सर्वे शुरू

- **डबल लाइन बिछाने के लिए रेलवे को जमीन चाहिए**

बीकानेर, (कासं)। रेलवे स्टेशन से लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक पटरियों की डबल लाइन बिछाने के लिए कुछ मकानों को तोड़ना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। जल्द ही ये तय हो जायेगा कि किन मकानों को तोड़ना पड़ेगा।

मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो जायेगा। इसके लिए मंडल ऑफिस से एक प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा गया है। जहां से रेलवे लाइन दोहरीकरण को तो स्वीकृति मिली हुई हैं, लेकिन मकानों को अधिग्रहित करने के लिए स्वीकृति मांगी गई है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक डबल लाइन करने के दौरान जो भी मकान बीच में आयेंगे, उनका अधिग्रहण किया जायेगा। इसके लिए संबंधित वैध मकान मालिकों को मुआवजा दिया जायेगा।

बीकानेर रेलवे स्टेशन से सांखला फाटक तक मकान नहीं है लेकिन सांखला फाटक से लालगढ़ की ओर काफी मकान इससे प्रभावित हो सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक का कहना है कि उन्हें लाइन बिछाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, उतना ही हिस्सा लिया जायेगा। कुछ जमीन तो पहले से रेलवे के कब्जे में है, जबकि कुछ जमीन लेनी पड़ेगी।

लोकसभा चुनाव से पहले ही यहां लाइन दोहरीकरण की योजना बन गई थी। स्वीकृति भी मिल गई थी लेकिन तब चुनाव के चलते इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अगर किसी ने कब्जा करके मकान बनाया है तो उसे भी तोड़ा जायेगा। जिसका कोई मुआवजा मिलना भी मुश्किल है। जिनके घर पट्टाशुदा है, उन्हें मुआवजा दिया जायेगा।

सार्वजनिक सूचना

सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएसएम-648, 6वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, करम पुरा, नई दिल्ली - 110015 में है, भारत सरकार से आवेदन करना चाहता है कि वह उसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियां प्रदान करे, ताकि विद्युत के संचरण के लिए या टेलीफोन या टेलीग्राफिक संचार के प्रयोजन के लिए विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्र लगाए जा सकें, जो कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक हैं, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या स्थापित या अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट लगाने के संबंध में है और सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, निर्माण और अन्य कार्यों के बाद कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव और निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना के लिए अन्य कार्यों का कार्यभार संभालेगा। राजस्थान के बीकानेर में मेसर्स सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड के 1400 मेगावाट (1000 मेगावाट+400 मेगावाट) आरई पार्क के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम

- सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड आरई पावर पार्क पीएसएस 2-बीकानेर III पीएस 400 केवी डी/सी लाइन-लगभग लंबाई 2 किमी
- **आंतरिक कनेक्शन**

i) सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड आरई पावर पार्क पीएसएस1-सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड आरई पावर पार्क पीएसएस2 डी/सी टावर पर 400 केवी एस/सी लाइन - लगभग लाइन की लंबाई 7 किमी

ii) सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड आरई पावर पार्क आरएसएस2-सनब्रीज रिन्यूएबल्स नाइन प्राइवेट लिमिटेड आरई पावर पार्क पीएसएस2 डी/सी टावर पर 400 केवी एस/सी लाइन -लगभग लाइन की लंबाई 7.5 किमी

उपरोक्त ट्रांसमिशन परियोजना को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा फाइल संख्या 25-17/6/2025-पीजी, दिनांक 14 जनवरी 2025 के माध्यम से पहले ही मंजूरी दे दी गई है। योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुजरेगी।

क्रम संख्या	गांवों का नाम	तहसील/तालुका	ज़िला
1	लाखूसर	बीकानेर	बीकानेर
2	सरदारपुरा	छत्तरगढ़	बीकानेर
3	बरजू	पूगल	बीकानेर

मार्ग सरेखण की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध है। आम जनता को इस नोटिस की तिथि से दो महीने के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तावित ट्रांसमिशन सिस्टम पर टिप्पणी/प्रतिवेदन लिखित रूप में देने के लिए सूचित किया जाता है। अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री मनीष त्यागी
सहायक महाप्रबंधक,
12, भीकाजी कामा प्लेस, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली, दिल्ली 110066,
मोबाइल नंबर 9871144602,
ईमेल आईडी manish.tyagi@jindalrenewables.com

हरिगोपाल की देह मेडिकल कॉलेज को दान

बीकानेर, (कासं)। बुधवार दोपहर दो बजे समता नगर निवासी 67 वर्षीय हरिगोपाल अग्रवाल के निधन पर उनकी इच्छानुसार उनके पुत्र चेतन चिराग ने अपने पिता का पार्थिव देह एसपी मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के सुपुर्द की।

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी के प्रयासों से सर्वसमाज में देहदान को लेकर जन जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले दस दिन में एसपी मेडिकल कॉलेज को तीन बॉडी डोनेशन के रूप में प्राप्त हुई। इस दौरान प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अग्रवाल परिवार को ढांढ़स बंधाया।

प्राचार्य डॉ. सोनी ने कहा कि देहदान चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे चिकित्सा छात्र-छात्राओं, शोधकर्ताओं को मानव शरीर को समझने में मदद मिलती है ओर सर्वसमाज को कुशल चिकित्सक प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती है।

एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश मणि के मार्गदर्शन में देहदान संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण की गई। इस दौरान डॉ. के.आर. मीणा, डॉ. रामेश्वर व्यास, डॉ. अनिता राज राठौड़, डॉ.भारती, मोहन व्यास, कमलेश व्यास, हेतराम जाखड़, विनय थानवी, श्रवण एवं शिव सिंह सहित अन्य कार्मिकों ने पार्थिव देह को श्रद्धासुमन अर्पित किये।

पाइपलाइन टूटने से व्यर्थ बहा पानी

नोखा, (कासं)। जिला अस्पताल के पास भूमिगत केबल बिछाने के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हो गया। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग से नवली गेट तक की मुख्य सड़क पर हजारों लीटर पानी बह गया। सड़क पर जमा हुए पानी से आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नवली गेट पर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भी जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा अभी तक पानी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाइपलाइन से लगातार बह रहे पानी से न केवल जल संसाधन की बर्बादी हुई बल्कि सड़क की स्थिति भी खराब हो रही है। जलदाय विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

रिश्तेदार ने चैकों पर साइन करा की 11.30 लाख की धोखाधड़ी

- **खाते में रूपये डलवाने के बहाने तीन चैकों पर साइन करा रूपये निकाले**

नोखा, (कासं)। बंधड़ा निवासी कैलाश के साथ उनके रिश्तेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर 11.30 लाख रूपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने इस संबंध में नोखा थाने में मामला दर्ज कराया है।

कैलाश ने 18 मार्च, 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा की नोखा शाखा में बचत खाता खोला था। कुछ दिन पहले स्वरूपसर निवासी आदूराम मेघवाल ने कैलाश से कहा कि उसका खाता बंद है, इसलिए कुछ रूपए उसके खाते में डलवाने हैं। आदूराम ने कैलाश से तीन चैक पर हस्ताक्षर करवा लिए और अपने एक साथी से चैक भरवाए। दो दिसम्बर को आदूराम के एक साथी ने कैलाश के साथ बैंक जाकर तीन अलग-अलग चैक से क्रमशः 3.50 लाख, 3.30 लाख और 4.50 लाख रूपए निकाल लिए। इतना ही नहीं आरोपी ने कैलाश के फोन से फोन पे के जरिए 39,000 रूपए भी ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आदूराम कैलाश को श्रीबालाजी ले गया। जहां उसके नाम से नई सिम कार्ड खरीदी और पुरानी सिम तोड़ दी। आरोपी ने कैलाश को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर वह चुप रहा। जब उसके परिवार को घटना का पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

थैले से एक लाख रूपए चोरी : नोखा में एक व्यक्ति की बाइक से एक लाख रूपए नगदी और चैकबुक से भरा थैला चोरी हो गया। उदासर गांव के फूसाराम मेघवाल ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है।

फूसाराम ने बताया कि उनकी बाइक के साइड में एक कपड़े का थैला था, जिसमें चैकबुक, एक लाख रूपए नगद और कुछ कागजात रखे थे। जब उन्होंने लखारा चौक और कटला चौक के बीच थैले को चैक किया तो वह गायब था।

पाइपलाइन बिछाने से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति लेकर ही सड़क तोड़ें : डॉ. मंजू

- **जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में जल जीवन मिशन के कार्य गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए**

श्रीगंगानगर, (कासं)। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करने एवं समय-समय पर निरीक्षण के निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें एवं विभागीय अधिकारी समय-समय निरीक्षण करें। पाइपलाइन बिछाते समय एवं बिछाने से पूर्व संबंधित विभाग की एनओसी के माध्यम से अनुमति लेकर ही सड़क तोड़ने की कार्यवाही शुरू करें। कार्य पूर्ण होने पर उसकी तत्काल मरम्मत करवाएं। विभाग की ओर से की जा रही जलापूर्ति की समय-समय जांच करें। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं मिशन के सदस्य सचिव विजय कुमार शर्मा ने विभाग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में

श्रीगंगानगर कलेक्टर डॉ. मंजू ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक को संबोधित किया।

बताया कि जिले में 1192 गांवों के लिए 333 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 1176 गांवों के लिए 331 योजनाओं की निविदाएं आमंत्रित हो चुकी हैं और 1162 गांवों के लिए 329 योजनाओं के कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब तक 235 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 94 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। अधीक्षण अभियंता ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक वार क्रियाशील घरेलू जल संबंध व हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति से अवगत करवाया। अधिशासी अभियंता मॉनिटरिंग मोहनलाल अरोडा ने अवगत करवाया कि कार्यों की गुणवत्ता जांच के बाद ही संबंधित फर्म को भुगतान किया जाता है। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के संचालन एवं संधारण की वार्षिक आवश्यक अनुमानित लागत का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष कुमार, अनूपगढ़ वृत के अधीक्षण अभियंता हरपाल सिंह, अधिशासी अभियंता पराग स्वामी अधिशासी अभियंता ग्रामीण प्रशांत खैरवा, आईईसी कंसलटेंट श्रवण पारीक व जल एवं स्वच्छता मिशन सदस्य अधिकारीगण एवं सभी सहायक अभियंतागण मौजूद रहे।

सार्वजनिक नोटिस

मेसर्स अवाडा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एएसपीपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-11, सेक्टर - 65, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 में स्थित है, राजस्थान सरकार को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत विद्युत् ट्रांसमिशन के लिए विद्युत् लाइनों अथवा विद्युत् संयंत्र की स्थापना के लिए अथवा टेलिफ़ोन या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक वें सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन करने की इच्छुक है, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित किये गए या बनाये गए या स्थापित किये जाने वाले या बनाए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों की स्थापना के सम्बन्ध में धारित हैं, और निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, उत्थापन और अन्य कार्य के पश्चात प्रचालनारम्भ, प्रचालन, अनुरक्षण करेगी:

ट्रांसमिशन योजना का नाम: "मेसर्स अवाडा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (एएसपीपीएल) की गांव - सूडसर, तहसील - श्री डूंगरगढ़, जिला- बीकानेर, राजस्थान में स्थित सोलर पावर परियोजना के लिए 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली"।

योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन का नाम: मेसर्स अवाडा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (गांव - सूडसर, तहसील - श्री डूंगरगढ़, जिला - बीकानेर में स्थित 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के जनरेशन पूलिंग स्टेशन) - बाधनू जीएसएस (आरवीपीएनएल) 220 केवी एस/सी शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन डी/सी टावरों पर।

लाइन की लम्बाई लगभग 10 किमी है, जिसमें से 9 किमी लाइन को डी/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप और 220 केवी बाधनू जीएसएस छोर से लगभग 1 किमी लाइन को एम/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन प्रस्तावित रूट के आधार पर निम्नलिखित गाँवों, कस्बों और शहरों से, उनके बीच से, ऊपर से और आसपास से होकर गुजरेगी:

क्रम सं.	गाँव	तालुका	जिला
1.	सूडसर, सांवतसर	श्री डूंगरगढ़	बीकानेर
2.	बाधनू	जसरासर	बीकानेर

रूट संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। आम जनता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह ट्रांसमिशन लाइन के प्रस्तावित रूट के संबध में अपनी टिपण्णी/प्रतिवेदन नोटिस के प्रकाशन की तिथि से दो माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

पवन कुमार, महाप्रबंधक (ट्रांसमिशन), अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सी-11, सेक्टर-65, नोएडा-201307, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत. ईमेल: pawan.kumar2@avaada.com, फोन: 0120-6757192.